यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्या: 210/2022 दायर दिनाँक 15.06.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. नाथूराम पुत्र मोडूराम उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बकवास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना 2. पांची देवी पत्नि जेठाराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिल नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:–
1. श्री हरफूल राव वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 17.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा वादी की खातेदारी के खेत खसरा सं0 451/32 रकबा 0.8093 हैक्टे0 चाही 3 जो कि मौजा बकवास पटवार हल्का क्षैत्र खरेश भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना में अवस्थित है तथा प्रतिवादी सं0 2 की खातेदारी के खेत खसरा सं0 453/32 रकबा 0.6474 हैक्टे0 चाही 3 वाकै सरहद बकवास पटवार क्षैत्र खरेश भू0 अभि0 निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त खसरान में आवागमन हेतु कटाणी रास्ता बालिया से बकवास वाले रास्ते से पश्चिम से पूर्व की तरफ कटाणी रास्ता खसरास 0 452/32 गै0 मु0 रास्ता से चलता हुआ प्रतिवादी सं0 02 पांची दवी के खेत खसरा सं0 453/32 रकबा 0.6474 हैक्टे0 की सीमा से चल रहा है। उस सीमा से आगे वादी के खेत खसरा सं0 451/32 की पूर्वी सीमा पर जिस रास्ते को वादी द्वारा प्रस्तुत पद में नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" से दर्शाया है। नजरी नक्शा अनुसूची "अ" में मार्क ए से बी से दर्शाया गया है, जो दावा का अहम हिस्सा है।

यह है कि नजरी नक्शे में मार्क ए से बी रास्ता पूर्व खातेदार मेघाराम पुत्र डालूराम जाति मेघवाल निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वाले जरिये समर्पण दिनांक 16.12.2020 को पूर्व खेत खसरा सं0 32 रकबा 1.5507 हैक्टे0 वाकै सरहद बकवास में से रकबा 0.0940 हैक्टे0 भूमि रास्ते हेतु समर्पण की गई। उपरोक्त समर्पण की गई भूमि के खसरा सं0 452/32 गै0 मु0 रास्ता दर्ज है। जो आवागमन हेतु मौके पर आज भी मौजुद है, मगर प्रतिवादी सं0 2 पांची देवी उक्त रास्ता को अपने खेत खसरा सं0 453/32 की भूमि तक ही सिमित कर दिया है। उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के बावजुद भी उक्त रास्ता को प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादी व अन्य खातेदार व आमजन गाड़ी, छगड़ा के रूप में आने–जाने हेतु उपयोग व उपभोग चिर काल से लेते आये है। मगर वर्तमान में प्रतिवादी सं0 02 द्वारा उक्त आराजी रास्ते खसरा सं0 452/32 गै0 मु0 रास्ता को बन्द कर दिया है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है:–

यह है कि खसरा सं0 452/32 गै0 मु0 रास्ता से चलता हुआ प्रतिवादी सं0 02 पांची देवी के खेत खसरा सं0 453/32 रकबा 0.6474 हैक्टे0 की सीमा से चल रहा है। उस सीमा से आगे वादी के खेत खसरा सं0 451/32 की पूर्वी सीमा पर जिस रास्ते को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में नजरी नक्शा अनुसूची "अ" में मार्क ए से बी से दर्शाया गया है, उक्त खसरा सं0 452/32 गै0 मु0 [illegible] वादी के खेत खसरा सं0 451/32 तक के आवागमन व उपयोग व उप[illegible] की [illegible]णा वादी के पक्ष में जारी फरमावें तथा उसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में [illegible] दुरूस्त किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1348 दिनांक 17.07.2022 के द्वारा तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल की गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा बकवास के खसरा सं0 452/32 गै0 मु0 रास्ता की सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल 0.0940 हैक्टे0 जो प्रतिवादी सं0 02 पांची देवी के खेत खसरा सं0 453/32 की सीमा से आगे वादी के खेत खसरा सं0 451/32 की सीमा तक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में नजरी नक्शा अनुसूची "अ" में मार्क ए से बी को खसरा 451/32 तक रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 17.08.2022 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 210/2022 दायर दिनाँक 15.06.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1 नाथूराम पुत्र मोडूराम उम्र 55 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बकवास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना 2. पांची देवी पत्नि जेठाराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी बकवास तहसील डीडवाना जिल नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 17.08.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफूल राव वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौजा बकवास के खसरा सं0 452/32 गै0 मु0 रास्ता की सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल 0.0940 हैक्टे0 जो प्रतिवादी सं0 02 पांची देवी के खेत खसरा सं0 453/32 की सीमा से आगे वादी के खेत खसरा सं0 451/32 की सीमा तक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में नजरी नक्शा अनुसूची "अ" में मार्क ए से बी को खसरा 451/32 तक रास्ता की भूमि घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगी।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो फरीक को बजरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner